उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी

5, सर्वपल्ली, माल एवेन्यू रोड, लखनऊ - 226001

फोन : 0522 - 2238846, 2236600, फैक्स : 0522-2237800

दिनांक 20/09/2011

पत्रांक सं0 6239/11

महत्वपूर्ण / अत्यावश्यक

सेवा में,

प्रशासक / प्रधानाचार्य,

समस्त नर्सिंग एवं पैरामेडिकल प्रशिक्षण केन्द्र।

विषयः प्रदेश की शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग रोकथाम हेतु विशेष सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय समिति की दिनांक 28.06.2011 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–2702 / 71–2–11–58 / 07 दिनांक 11 अगस्त, 2011 की छायाप्रति एवं उसके साथ संलग्न कार्यवृत्त की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जा रही है।

कृपया अपने स्तर से रैगिंग की रोकथाम हेतु शासन के उपरोक्त पत्र के परिपालन में तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करायें।

भवदीय,

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

सचिव,

उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी

दिनांक : 20/09/2011

पत्र सं0 6240/11

प्रतिलिपि अनुसचिव, उ0प्र0 शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2 को शासन के पत्र संख्या 2702 / 71–2–11–58 / 07 दिनांक 11 अगस्त, 2011 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव,

उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी

संख्या-2702 /71-2-11-58/07

प्रेषक,

शिवराम त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1. महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ०प्र०, लखनऊ।

2. निदेशक,
डा० राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल सांइसेज, गोमती नगर, लखनऊ

3. कुलसचिव,
सी०एस०एम०एम०यू०, लखनऊ।

4. निदेशक,
एस०जी०पी०जी०आई०, लखनऊ।

5. निदेशक,
आर०आई०एम०एस०, सैफई, इटावा।

6. निदेशक,
आयुर्वेद विभाग उ०प्र०, लखनऊ।

7. निदेशक,
यूनानी सेवायें, लखनऊ।

8. निदेशक,
होम्योपैथी विभाग, उ०प्र० लखनऊ।

9. सचिव,
स्टेट मेडिकल फैकल्टी, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक 11/8 जुलाई, 2011

विषय- प्रदेश की शिक्षण संस्थाओं मे रैगिंग रोकथाम हेतु विशेष सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता मे राज्यस्तरीय समिति की दिनांक 28-6-2011 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 के पत्र संख्या-2424/सोलह-1-2010-250/96 टी.सी. दिनांक 15-7-2010 की संलग्न छाया प्रति का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की शिक्षण संस्थाओं में रैंगिग रोकथाम हेतु विशेष सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता मे राज्यस्तरीय समिति की दिनांक 28-6-2011 को सम्पन्न बैठक मे दिये गये निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अपने नियंत्रणाधीन संस्थाओं में अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त

भवदीय,

(शिवराम त्रिपाठी)
अनु सचिव।

संख्या- (1)/71-2-11-तद्दिनांक

प्रतिलिपि प्रदेश की शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग रोकथाम हेतु विशेष सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता मे राज्यस्तरीय समिति की दिनांक 28-6-2011 को सम्पन्न आहूत बैठक के कार्यवृत्त की छाया प्रति प्रेषित करते हुए इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त बैठक मे समिति द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन मे आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें:-

1. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, उ०प्र० द्वारा महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० लखनऊ।
2. समस्त प्रधानाचार्य, निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेज द्वारा महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० लखनऊ।
3. समस्त प्रधानाचार्य, निजी क्षेत्र के आयुर्वेद/यूनानी/होम्योपैथी कालेज द्वारा निदेशक, आयुर्वेद/यूनानी/होम्योपैथी उ०प्र०।
4. निजी क्षेत्र के समस्त पैरामेडिकल कालेज द्वारा सचिव, स्टेट मेडिकल फैकल्टी।

आज्ञा से,

(शिवराम त्रिपाठी)
अनु सचिव।

प्रदेश की शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग रोकथाम हेतु विशेष सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति की दिनांक 28-6-2011 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थित अधिकारीगणः-

1- श्री भुवनेश कुमार, आयुक्त मेरठ मण्डल, मेरठ।
2- श्री मुकेश मेश्राम, आयुक्त इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद।
3- श्री वी0के0गुप्त, विशेष सचिव, उच्च शिक्षा, उ0प्र0शासन।
4- श्री श्याम लाल, अपर आयुक्त (प्रशासन) लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
5- श्री अजीत प्रकाश, संयुक्त सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- श्री उमा सिंह, संयुक्त सचिव, पशुधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
7- श्री यू0एस0तोमर, कुलसचिव, गौतमबुद्ध प्रा0वि0, लखनऊ।
8- श्री जी0पी0त्रिपाठी, कुलसचिव, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
9- श्री पी0एन0 त्रिपाठी, अनुसचिव, माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
10- श्री सुनील कुमार, अनुसचिव, कृषि शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
11- डा0 के0के0 चौहान, सहायक आचार्य, पशु चिकित्सा विज्ञान विभाग, मथुरा।
12- सुश्री प्रभा त्रिपाठी, सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 इलाहाबाद।
13- श्री आर0के0 सिंह, संयुक्त निदेशक (प्रशासन) पशुपालन विभाग, लखनऊ।

सर्व प्रथम अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में आए हुए सभी अधिकारियों का स्वागत करते हुए प्रदेश में स्थापित सभी शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग रोकने के संबंध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशो, संबंधित विभागों के स्तर से रैगिंग की रोकथाम हेतु निर्गत शासनादेशों एवं उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिषेध अधिनियम-2010 के प्राविधानों का विस्तृत ज़िक करते हुए सभी अधिकारियों को इससे अवगत कराया गया तथा इनमें निहत प्राविधानों/निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करते हुए रैगिग पूर्णतया रोकने की दिशा में सार्थक प्रयास करने का अनुरोध किया गया। बैठक में रैगिंग की रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही कराए जाने के लिए सर्व सम्मति से निम्नलिखित मत स्थिर किये गयेः-

1- रैगिंग रोकने की प्राथमिक जिम्मेदारी संस्थाओं की है। प्रत्येक संस्था स्तर पर रैगिंग की रोकथाम के सभी सम्भव उपाय सुनिश्चित किए जाएं। रैगिग की कोई भी घटना घटित होने पर संस्थाओं की जिम्मेदारी होगी।
2- सभी संस्थानों में एन्टी रैगिंग कमेटी गठित होनी चाहिए तथा कमेटी द्वारा रैगिंग रोकने के लिए संस्थाओं के सभी महत्वपूर्ण (Strategic) स्थानों यथा कैन्टीन, छात्रावास, भवन के कारीडोर, सभी भवनों के प्रत्येक फ्लोर, सभी ब्लाकों, पुस्तकालय, प्रवेश द्वार आदि में निरन्तर निगरानी रखी जाए, जिससे रैगिंग की घटना की सम्भवनाएं पूर्णतया समाप्त हो जायँ।
3- जनपद में स्थिति केन्द्रीय संस्थानों को भी रैगिंग रोकने की मुहिम में शामिल करते हुए उनको भी विस्तृत दिशा-निर्देश जिलाधिकारी के स्तर से निर्गत किए जाए।
4- सभी आयुक्त/जिलाधिकारी नये शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व जिला स्तरयी रैगिंग समिति की बैठकें 10-07-11 तक आयोजित कर लें।

--2--

5- गतवर्ष की भाँति प्रत्येक विश्वविद्लयों से अपेक्षा की गयी कि वह अपने यहां एक एन्टी रैगिंग सेल की स्थापना करें।

6- शासन के सभी शैक्षिक विभागों से अपेक्षा की गयी कि वह अपने नियंत्रणाधीन शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग रोकने हेतु अपने स्तर से दिशा-निर्देश निर्गत करते हुए प्रभावी अनुश्रवण करें।

7- अधिक शिक्षण संस्थओं वाले जनपद, जो रैगिंग की दृष्टि से संवेदनशील हो, जैसे गौतमबुद्ध नगर, लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा, बरेली, गाजियाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, मथुरा आदि के जिलाधिकारियों से अपेक्षा की गयी कि वह रैगिंग रोकने हेतु विशेष सतर्कता बरते तथा अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करे। संबंधित मण्डलायुक्तों से अपेक्षा की गयी कि वह अपने मण्डल के जनपदों की मानीटरिंग अपने स्तर से भी करें।

8- सभी विश्वविद्यालय स्वयं रैगिग प्रतिषेध अधिनियम, 2010 के सुसंगत प्राविधानों की होर्डिंग्स लगाने की कार्यवाही कराऐं तथा इन विश्वविद्यालयों से सभी सम्बद्ध संस्थाओं में भी अधिनियम के प्राविधानों को होर्डिंग के माध्यम से प्रदर्शित कराया जाए, ताकि उक्त अधिनियम के प्राविधान सभी के संज्ञान में आ सके तथा रैगिग रोकने में सहायता मिल सके। प्रत्येक विश्वविद्यालय से अपेक्षा की गयी कि वह अपने यहां भी रैगिंग के संबंध में हेल्पलाइन तत्काल शुरू करें।

9- छात्रों एवं उनके अभिभावकों को प्रवेश के समय ही रैगिंग रोकने के संबंध विस्तृत प्राविधानों की जानकारी देते हुए उनसे शपथ पत्र प्राप्त किए जाए, ताकि अभिभावक भी इस दिशा में अपना योगदान दे सके।

10- सुझाव दिया गया कि रैगिग रोकने के संबंध में प्रख्यापित अधिनियम को संबंधित जनपदों के एफ0एम0 रेडियों को प्रसारित करने हेतु दे दें, ताकि रेडियों के माध्यम से भी इसका व्यापक प्रचार प्रसार हो सके तथा सभी छात्र एवं अभिभावक इसकी जानकारी दूर-दराज के क्षेत्रों में भी पा सके तथा रैगिग रोकने के संबंध में सार्थक प्रयास हो सके।

11- सभी संबंधित विभाग एवं विश्वविद्यालय रैगिग रोकने के शासनादेशों एवं अधिनियम को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दे। सुझाव दिया गया कि आवश्यकता अनुसार संस्थाओं का आकस्मिक निरीक्षण किया जाए, ताकि रैगिग की घटनायें बिल्कुल न हो।

12- गत वर्ष की भाँति इस वर्ष भी सभी जनपदों में एन्टी रैगिग हेल्प लाइन को 3 माह (जुलाई, अगस्त, सितम्बर) हेतु स्थापित किया जाये। जो 24 घंटे कार्य करें। हेल्प लाइन के नम्बरों को समाचार पत्रों, होर्डिगों तथा अन्य प्रचार के माध्यमों से प्रचारित किया जाय।

13- शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ होने जा रहा है अतः अगले 3 माह रैगिग की रोकथाम के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। समाचार पत्रों में रैगिग के संबंध में यदि कोई समाचार प्रकाशित होता है तो तत्संबंध में तथ्यों की सही जानकारी करके तत्काल प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए इस संबंध में की गयी कार्यवाही से शासन के संबंधित विभागों को भी अवगत कराया जाय।

--3--

14- समस्त संस्थाओं के प्रवेश द्वार तथा मुख्य स्थलों पर रैंगिग रोकने के उपायों से संबंधित मुख्य बिन्दुओं का उल्लेख करते हुए होल्डिंग लगाये जाये।

15- सभी विश्वविद्यालय अपने अधिनस्त अनुदानित था निजी संस्थानों में रैंगिग रोकने हेतु उक्त बिन्दुओं को सम्मिलित करते हुए व्यापक निर्देश निर्गत करें।

बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

राम गणेश
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन,
प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1,
संख्या-2525/सोलह-1-2010-250/96टीसी
लखनऊः दिनांकः 15 जुलाई, 2010

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, महामहिम/कुलाधिपति, उत्तर प्रदेश।
2- स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3- प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा/कृषि शिक्षा/पशुधन/ माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0शासन।
4- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6- कुलपति, गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।
7- कुलपति, महामाया प्राविधिक विश्वविद्यालय, गौतम बुद्ध नगर।
8- कुलपति, राज्य के समस्त विश्वविद्यायलय।
9- सदस्यगण, राज्य स्तरीय रैंगिग समिति।
10- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, (स्वतंत्र प्रभार), प्राविधिक शिक्षा,उ0प्र0।
11- निजी सचिव, सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0शासन।
12- बैठक में उपस्थित अधिकारी गण।
13-कुलसचिव, गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ/ महामाया प्राविधिक विश्वविद्यालय, गौतम बुद्ध नगर।
14- महानिदेशक, प्राविधिक शिक्षा विभाग।
15-प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-2/3 ।
16-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
15/7/10
(अनिल कुमार बाजपेई)
अनुसचिव